राज्य , पुलिस उपाधीक्षक सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी, तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व में

बनाम

जे दोराईस्वामी आदि

(आपराधिक अपील संख्या 445–446 वर्ष 2019)

07 मार्च, 2019

[अभय मनोहर सप्रे और दिनेश माहेश्वरी, जेजे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 227 – प्रतिवादी–पुलिस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया – प्रतिवादियों के खिलाफ राज्य अभियोजन एजेंसी द्वारा दायर आरोप पत्र – प्रतिवादियों द्वारा दायर धारा 227 के तहत आवेदन मामले से उन्हें बरी करने की प्रार्थना करते हुए जिसे ट्रायल न्यायालय ने अनुमति दी थी – उच्च न्यायालय ने ट्रायल न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया – वैधता – निर्णय : आरोप–पत्र दायर होने के तुरंत बाद आरोपमुक्त करने के मामले पर विचार करते समय, न्यायालय अपीलीय न्यायालय नहीं बन सकता है और गवाहों के बयानों में असंगति का पता लगाकर साक्ष्य की सराहना करना शुरू नहीं कर सकता है जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में किया गया था – मुकदमे के इस चरण में प्रतिवादियों को आरोपमुक्त करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है – सी.जे.एम .को इसलिए, राज्य को आरोपों को साबित करने के लिए आरोप–पत्र के समर्थन में गुण–दोष के आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देनी चाहिए थी – मामला में विचारण को आगे बढाने के लिए सीजेएम को भेज दिया गया– भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988.

अपील को स्वीकार करते हुए और मामले को सीजेएम न्यायलय को भेजते हुए इस न्यायलय का

निर्णय : उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण अदालत के बजाय एक अपीलीय अदालत की तरह काम किया जैसे कि वह विशेष अदालत के अंतिम फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई कर रहा था। विचारण के इस चरण में प्रतिवादियों को आरोपमुक्त करने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए, उन्हें न्यायालय के

आदेश के अनुसरण में दायर किए गए दस्तावेजों और आरोप-पत्र की सामग्री के आलोक में गुण-दोष के आधार पर विचारण के लिए रुकना होगा। [पैरा 12, 18] [923-जी; 925-डी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 445-446 वर्ष 2019

आर.सी. संख्या 825 और 826 वर्ष 2015 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 14.07.2016 के निर्णय और आदेश से ।

अपीलकर्ता की ओर से एस. पार्थ सारथी, एस. राजा राजेश्वरन, एम. योगेश कन्ना।

नीरज जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, एस थनंजयन, कृष्ण कुमार, राहुल राज मिश्रा, प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय दिया गया, द्वारा -

अभय मनोहर सप्रे, जे। 1. अनुमति दी गई।

2. इन अपीलों को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 14.07.2016 को क्रिमिनल आर.सी. संख्या 825 और 826 वर्ष 2015 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित किया जाता है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-राज्य द्वारा दायर पुनरीक्षण को खारिज कर दिया और विशेष न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिरुवन्नामलाई के आदेश की पुष्टि की, जिसके द्वारा प्रतिवादियों को दंड प्रक्रिया संहिता,1973 (इसके बाद "सी.आर.पी.सी." के रूप में संदर्भित) की धारा 227 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (इसके बाद "पी.सी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत विशेष मामला संख्या 4 वर्ष 2014 में उनके खिलाफ दायर आपराधिक कार्यवाही से आरोपमुक्त कर दिया गया था। ।

3. इन अपीलों में एक संक्षिप्त बिंदु शामिल है जैसा कि उल्लिखित तथ्यों से स्पष्ट होगा।

4. उत्तरदाता (ए -1 और ए-2) राज्य तमिलनाडु पुलिस सेवाओं में क्रमशः पुलिस निरीक्षक और पुलिस उप-निरीक्षक के रूप में काम कर रहे थे। दोनों प्रतिवादियों पर तिरुवन्नामलाई के विशेष न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अपराध मामला संख्या 3 वर्ष 2008/विशेष मामला संख्या 4 वर्ष 2014 में

पी.सी. अधिनियम की धारा 7 सपठित धारा 13 (1) (d) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था।

5. राज्य अभियोजन एजेंसी द्वारा कानून में आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद प्रतिवादियों के खिलाफ आरोप–पत्र दायर किए जाने पर, दोनों ने सी.जे.एम. के समक्ष सी.आर.पी.सी. की धारा 227 (Crl.M.P.Nos.648/2014 & 113/2015) के तहत आवेदन दायर किए, जिसमें उन्हें मामले से बरी करने का अनुरोध किया गया। संक्षेप में, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि पी.सी. अधिनियम और आरोप–पत्र में उनके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, इसलिए दोनों प्रतिवादी आरोपमुक्त होने योग्य हैं।

6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांक 29.06.2015 के आदेश द्वारा आवेदनों को स्वीकार कर लिया और उन्हें मामले से आरोपमुक्त कर दिया। राज्य ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 29.06.2015 के आदेश से व्यथित महसूस किया और उच्च न्यायालय में दो पुनरीक्षण दायर किए। आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण को खारिज कर दिया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की पुष्टि की, जिससे इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से राज्य द्वारा इन अपीलों को दायर करने में मदद मिली।

7. इसलिए, इन अपीलों में विचार के लिए उठने वाला संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या सी.आर.पी.सी. की धारा 227 के तहत प्रतिवादियों द्वारा दायर आरोपमुक्त करने के आवेदनों को अनुमति देने में निचली अदालते उचित थीं।

8. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वकील श्री एस. पार्थ सारथी और वरिष्ठ वकील श्री नीरज जैन और प्रतिवादियों की ओर से विद्वान वकील श्री एस. थनंजयन को सुना।

9. पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने और प्रतिवादियों द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों सहित मामले के अभिलेखों के अवलोकन के बाद, हम अपील को अनुमति देने के इच्छुक हैं और आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए, सी.आर.पी.सी. की धारा 227 के तहत प्रतिवादियों द्वारा दायर आवेदनों को खारिज करते हैं और कानून के अनुसार गुण–दोष के आधार पर मामले को विशेष न्यायाधीश / सीजेएम को सौंप देते हैं।

10. हमने आक्षेपित आदेश सहित अभिलेखों का अध्ययन किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या आरोप–पत्र के साथ राज्य द्वारा दायर दस्तावेजों के आधार पर प्रतिवादियों के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

11. दस्तावेजों, आरोप-पत्र की विषय-वस्तु और आक्षेपित आदेश का अध्ययन करने के बाद, हमारा विचार है कि यद्यपि उच्च न्यायालय ने **योगेश उर्फ सचिन जगदीश जोशी बनाम महाराष्ट्र राज्य** [(2008) (10) एससीसी 394] के मामले में इस विषय पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लेख किया, लेकिन उसमें निर्धारित सिद्धांतों को ठीक से लागू नहीं करके गलती की, जिससे उनके द्वारा सी.आर.पी.सी. की धारा 227 के तहत प्रतिवादियों को उनके आरोपमुक्त करने के लिए दायर आवेदनों को अनुमति देने में त्रुटि हुई।

12. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण न्यायालय के बजाय अपीलीय न्यायालय की तरह काम किया जैसे कि वह विशेष न्यायालय के अंतिम फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई कर रहा था।

13. इसके समापन पैरा 14 सहित पूरे आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है, जो निम्नानुसार है:

"ऐसा होने पर, जब आपराधिक कार्यवाही में आरोप तय करने के लिए समान तथ्यों के लिए विभागीय कार्यवाही में समान आरोप स्थापित नहीं किए जा सकते हैं, तो दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम होगी। साथ ही, यह न्यायालय इस कानूनी स्थिति से भी अच्छी तरह वाकिफ है कि विभागीय कार्यवाही से बरी होने को आरोपमुक्त करने की याचिका को अनुमति देने के एकमात्र आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। इसलिए, यह देखना आवश्यक है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा किसी आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। इस मामले में, अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से गवाह /शिकायतकर्ता सुंदरराजन और उसके चचेरे भाई शेखर के बयान पर निर्भर है। जैसा कि विचारण न्यायालय ने देखा, अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में विसंगतियां हैं। इसके अलावा, जैसा कि ट्रायल न्यायालय ने कहा, अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है कि ए 1 और ए 2 उक्त अरुणाचल लॉज/ गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 4 में मौजूद थे। यद्यपि अभियोजन पक्ष का यह मामला है कि उक्त लॉज में उक्त कमरा नंबर 4 में 5 लाख रुपये की उक्त राशि का भुगतान किया गया था, लेकिन 14.09.2010 को सी.आर.पी.सी. की धारा 161 के तहत दर्ज शेखर के बयान में सुब्बैया- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डी.वी. और ए.सी., विशेष जांच टीम, चेन्नई के समक्ष उन्होंने पैसे के भुगतान की तारीख 15.01.2004 का उल्लेख किया है, लेकिन दिनांक 09-07-2004 को ए.डी.एस.पी.- क्राइम (वेल्लोर) - जुइलान के समक्ष दिए गए वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि उक्त राशि का भुगतान 15-02-2004 से एक या दो दिन पहले किया गया था। इसलिए, इसमें भौतिक विरोधाभास है, विशेष रूप से ए 1 और ए 2 को 5 लाख रुपये के उपर्युक्त भुगतान की तारीख के संबंध में। उक्त शेखर के असमर्थित

बयान के अलावा, इस अदालत के समक्ष ए 1 और ए 2 द्वारा पैसे की मांग को साबित करने के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं है।

14. हमारे विचार में, प्रतिवादियों (आरोपी) के आरोपमुक्त करने के आवेदनों पर निर्णय लेते समय उच्च न्यायालय का ऐसा दृष्टिकोण कानूनी रूप से सही नहीं है और इसलिए, इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

15. हमारे विचार में, आरोपमुक्ति उद्देश्य के लिए अभिलेखों पर विचार करना एक बात है और अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील पर निर्णय लेते समय अभिलेखों पर विचार करना दूसरी बात है।

16. आरोप–पत्र दायर होने के तुरंत बाद आरोपमुक्त किए जाने के मामले पर विचार करते समय, न्यायालय अपीलीय न्यायालय नहीं बन सकता है और गवाहों के बयानों में असंगति का पता लगाकर साक्ष्य की सराहना करना शुरू नहीं कर सकता है जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा 19 पृष्ठों के आदेश में किया गया था। यह कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है।

17. हमने न तो तथ्यों और न ही सबूतों (जिसका परीक्षण अभी तक किया जाना बाकी है) को विस्तार से निर्धारित किया है और मामले के गुण–दोष पर किसी भी निष्कर्ष को अभिलेखित करने से खुद को रोक लिया है, अन्यथा यह विचारण में उनके मामले पर मुकदमा चलाते समय पक्षों के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न करेगा।

18. इन अपीलों को स्वीकार करते समय हम केवल इतना ही कहते हैं कि मुकदमे के इस चरण में प्रतिवादियों को आरोपमुक्त करने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए, उन्हें न्यायालय के आदेश के अनुसरण में दायर किए गए दस्तावेजों और आरोप–पत्र की सामग्री के आलोक में गुण–दोष के आधार पर विचारण करवाना होगा। इसलिए, विशेष अदालत (सी.जे.एम.) को राज्य को आरोपों को साबित करने के लिए आरोप–पत्र के समर्थन में गुण–दोष के आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देनी चाहिए थी।

19. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील सफल होती है और तदनुसार अनुमति दी जाती है। आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। नतीजतन, सी.आर.पी.सी. की धारा 227 के तहत प्रतिवादियों द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया जाता है।

20. विशेष अदालत (सी.जे.एम.) को मुकदमे के साथ आगे बढ़ने और कानून के अनुसार छह महीने के भीतर इसे समाप्त करने का निर्देश दिया जाता है।

21. विशेष न्यायालय इन कार्यवाहियों में उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार मुकदमे में पक्षकारों द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर मामले का सख्ती से फैसला करेगा।

देविका गुजराल अपील की अनुमति दी गई और मामले को सी.जे.एम. अदालत में वापस भेज दिया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated and verified by me.



Satyendra Yadav
Advocate
Advocate on Roll : A/S0567/2023
Contact No. : 8896551733